न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी, शाहपुरा

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 15 / 2024 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री आशुतोष सिंह राणावत पुत्र छीतर सिंह राणावत निवासी महाराजा साहब की हवेली वार्ड नं0 09 जहाजपुर, जिला शाहपुरा। ——अपीलार्थी	बनाम	सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार जहाजपुर जिला शाहपुरा। ——प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 18.07.2024

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार जहाजपुर के विरूद्ध दिनांक 10.06.2024 को प्राप्त हुआ। जिसमें अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क राशि 10/– रूपये का पोस्टल ऑर्डर संख्या 62 एफ 477557 के साथ एक आवेदन दिनांक 03.05.2024 को सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार जहाजपुर को प्रेषित किया गया, किन्तु सूचना प्राप्त नहीं हुई।

2. प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 18.06.2024 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार जहाजपुर से जवाब प्राप्त नहीं हुआ।

3. अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, जहाजपुर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना कार्यालय में उपलब्ध रेकॉर्ड के आधार पर निर्णय दिनांक से 10 दिवस में नियमानुसार उपलब्ध कराते हुए पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें। निर्णय की प्रति उभयपक्षकारान को प्रेषित की जावे।

4. आदेश आज दिनांक 18.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर शाहपुरा (राज.)

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
शाहपुरा

जिला कलक्टर
शाहपुरा